न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 99/2016 दायरा दिनांक : 27.05.2016

उनवान

चुन्नीबाई पुत्री श्री बाला उम्र 65 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बावड़ीखेड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कंकूबाई पुत्री रूपा पत्नी बीरम उम्र 70 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी गावडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2— कंवरी बाई पुत्री रूपा पत्नी प्रभूलाल उम्र 60 साल, जाति मेघवाल, निवासी दित्याखेड़ी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

3— धापूबाई पुत्री रूपा पत्नी चन्दरलाल, उम्र 55 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सरॉवा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

4— सुमित्रा पत्नी जगदीश, उम्र 40 साल, जाति मेघवाल, निवासी बावड़ीखेड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री के.एल.रावल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो—(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध विभाग ★ कोटा

श्री बी.एल.माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 3 की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.10.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 281/1996 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.1997 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रूपा ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209, तथा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम बावड़ीखेड़ा कला, तहसील झालरापाटन की साबिक खसरा नम्बर 286/1 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 956/1 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजी है जो बाला, कालू एवं रूपा पिता किशना चमार, निवासी बावड़ीखेड़ा के खाते दर्ज थी । तहसील झालरापाटन में जब सैटलमेंट हुआ तो अपीलांट के पिता बाला एवं बाला के भाई कालू को नोटिस दिये बिना ही कालू का नाम खाते से गायब कर दिया और उक्त आराजियात के नये खसरा नम्बर 373 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 587 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा आराजी का 1/3 हिस्सा बाला के खाते में दर्ज कर दिया तथा 2/3 हिस्सा रूपा के खाते में दर्ज कर दिया । बाला को रूपा विश्वास दिलाता रहा कि उसके हिस्से की जमीन उसके खाते दर्ज करवा देगा, लेकिन रूपा टालमटोल करता रहा। इस दौरान कालू फौत हो गया उसके कोई औलाद नहीं थी इसलिए उसके हिस्से की जमीन 1/2 हिस्से की मांग अपीलांट करती

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा

रही लेकिन रूपा ने चुपचाप अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का दावा कर दिया और अपीलांट को कानूनी रूप से तामील भी नहीं हुई और मेरे खिलाफ दिनांक 18.06.1997 को बंटवारे की एक तरफा डिक्री हांसिल कर ली। उसके बाद में आज से करीब 6 माह पूर्व रूपा फौत हो गया और वादग्रस्त जमीन रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के खाते दर्ज हो गई। रेस्पोडेंट नम्बर 1 कंकूबाई ने उसके हिस्से की जमीन उसकी पुत्रवधू सुमित्रा बाई को हस्तान्तरित कर दी, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को विधिवत तामील नहीं हुई है जिसकी वजह से अपीलांट वास्तविकता को न्यायालय के समक्ष नहीं रख पायी है। वास्तविकता तो यह है कि बाला, कालू और रूपा तीनों किशना के बेटे थे और सगे भाई थे। सैटलमेंट से पूर्व तीनों का खाते में बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज था और तीनों का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त था, लेकिन सैटलमेंट वालों से मिलकर रूपा ने कालू का हिस्सा भी अपने खाते दर्ज करवा लिया । सैटलमेंट के बाद रूपा, कालू को विश्वास दिलाता रहा कि वह उसके 1/3 हिस्से की जमीन उसके खाते दर्ज करवा देगा। इस दौरान कालू ला औलाद फौत हो गया। रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 के पिता रूपा ने धोखाधड़ी कर तथ्यों को छिपाकर अपीलांट की अज्ञानता का नाजायज लाभ उठाकर चुपचाप डिक्री हासिल की है, जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज फरमाया जावे तथा कंकूबाई ने उसका हिस्सा उसकी पुत्रवधु सुमित्रा को हस्तान्तरित कर दिया है । हस्तान्तरण भी खारिज फरमाया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.03.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस ज़ारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी संख्या 36 सम्वत 2051—54 वाके ग्राम बावडीखेडा की आराजी खसरा नम्बर 373 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 587 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा में वादी का 2/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 373 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा पर तन्हा काबिज काश्तकार चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★ सत्यमेव जयते

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.1997 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पा
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

चुन्नीबाई पुत्री श्री बाला उम्र 65 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बावड़ीखेड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– कंकूबाई पुत्री रूपा पत्नी बीरम उम्र 70 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी गांवडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
2– कंवरी बाई पुत्री रूपा पत्नी प्रभूलाल उम्र 60 साल, जाति मेघवाल, निवासी दित्याखेड़ी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
3– धापूबाई पुत्री रूपा पत्नी चन्दरलाल, उम्र 55 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी सरोंवा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
4– सुमित्रा पत्नी जगदीश, उम्र 40 साल, जाति मेघवाल, निवासी बावड़ीखेड़ा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोंडेंट**

अपील नं. 99/2016 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालावाड**

मु.द.नं0 281/1996 निर्णय व डिक्री दिनांक – **18.06.1997**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 14 माह 10 सन् 2022

हाजरी श्री के0 एल0 रावल अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट एवं **श्री बी0 एल0 माहेश्वरी रेस्पो0 नं0 1 से रेस्पो0 नं0 3** की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.1997 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 20 माह 10 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)